न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोगनीपुर, कानपुर देहात ।

परिवाद मु०सं०–1002/2017

चन्द्रपाल बनाम संजय सचान आदि ।

धारा–323,504,452 भा०द०स०

थाना–बरौर , कानपुर देहात ।

आदेश

प्रार्थीगण /अभियुक्तगण संजय सचान व पंकज संचान द्वारा परिवाद मु०सं०–1002/2017,धारा–323,504,452 भा०द०स० थाना–बरौर, कानपुर देहात में अन्तरिम जमानत बढ़ाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया ।

अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियुक्तगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अन्तरिम जमानत बढ़ाये जाने की याचना की गयी है ।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

अभियुक्तगण अन्तरिम जमानत पर हैं । अतः अन्तरिम जमानत बढ़ाये जाने का आधार पर्याप्त है।

अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा रू० बीस –बीस हजार का निजीबंधपत्र दाखिल करने पर अभियुक्तगण को दिनांक 05–12–2018 तक के लिए अन्तरिम जमानत पर रिहा किया जाए । मूल जमानत प्रार्थना पत्र सुनवायी हेतु दिनांक दिनांक 05–12–2018 पेश हो । अभियुक्त दिनांक 05–12–2018 को व्यक्तिगत रूपसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों ।

प्रभारी–न्यायिक मजिस्ट्रेट,भोगनीपुर,

कानपुर–देहात ।

15–11–2018

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम, कानपुर देहात ।

अ०सं०–21/2018

सरकार बनाम रवी सिंह ।

धारा–25 आयुध अधि०

थाना– डेरापुर, कानपुर देहात ।

आदेश

अभियुक्त रवी सिंह द्वारा अ०सं०–21/2018 धारा–25 आयुध अधि० थाना–डेरापुर, कानपुर देहात में अन्तरिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया ।

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि दिनांक 30–01–2018 जयराम भंगी निवासी ग्राम विसोहा थाना डेरापुर सुबह आठ बजे मिला और कहा कि मुझे रास्ते में एक कटटा व एक कारतूस मिला है मैं थाने डेरापुर में जमा करना चाहता हूं । इस लिए तुम मेरे साथ थाना डेरापुर चलो । जयराम की बात पर विश्वास करके मैं चला गया जयराम ने प्रार्थी/अभियुक्त पर पुलिस से सांठ गांठ करके दो मुकदमें दर्ज करा दिये । प्रार्थी /अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया । अभियुक्त ओर से जमानत की याचन की गयी है ।

जमानत पर सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया ।

अभियुक्त दिनांक 20–07–2018 अन्तरिम जमानत पर है। उसका स्वास्थ अत्यन्त खराब है इसके सम्बन्ध में उसके द्वारा मेडिकल प्रपत्र दाखिल किया गया है । अभियुक्त द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है । अभियुक्त को पुलिस द्वारा मौके से गिरफतार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है बल्कि उसके द्वारा स्वयं न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है । केस के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त है । अभियुक्त द्वारा रू० बीस हजार की दो जमानतें तथा समान धनराशि का निजीबंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किय जाए ।

न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम ,
कानपुर–देहात ।
23–07–2018